

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया कुलपति ने किया छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल नियुक्त

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रो. नजमा अख्तर ने प्रो. सैयद अख्तर हुसैन (सेवानिवृत्त), पूर्व प्रोफेसर और डीन, प्राकृतिक विज्ञान संकाय, जेएमआई को विश्वविद्यालय के छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल नियुक्त किया है। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 द्वारा दिए गए शासनादेश के अनुसार यह निर्णय लिया है।

लोकपाल की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

लोकपाल किसी पीड़ित छात्र की अपील तभी सुनेगा जब छात्र इन विनियमों के तहत प्रदान किए गए अन्य सभी उपायों का लाभ उठाएगा।

जबकि परीक्षा के संचालन में या मूल्यांकन की प्रक्रिया में कदाचार के मुद्दों को लोकपाल को भेजा जा सकता है, किसी परीक्षा से उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई अपील या आवेदन, लोकपाल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि विशिष्ट अनियमितता भौतिक रूप से परिणाम को प्रभावित न करे या भेदभाव के विशिष्ट घटना को इंगित न करे।

कथित भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई के लिए लोकपाल एमिकस क्यूरिया के रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता ले सकता है।

लोकपाल पीड़ित छात्र (छात्रों) से अपील प्राप्त करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर शिकायतों को हल करने के लिए सभी प्रयास करेगा।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया